न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
16/24	एफएसएस एक्ट, 2006	13/03/2024

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर । –आवेदक

बनाम

1. दिनेश कुमार मित्तल पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद मित्तल (प्रोपराईटर) मैसर्स गुरूकृपा मावा डिलर पंसारी गली ,गंगापुर सिटी निवासी हाडौत्या कॉलोनी गंगापुर सिटी। –अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक. 04.09.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 15.03.2023 को दोपहर 02:00 पी.एम. पर फर्म– गुरूकृपा मावा डिलर पंसारी गली ,गंगापुर सिटी पर पहुंचा मौके पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला उसने स्वयं को विक्रेता एवं प्रोपराईटर बताया एवं अपना नाम दिनेश कुमार मित्तल पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद मित्तल बताया । उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु 10–10 किलोग्राम सादा प्लास्टिक की थैलियों में मावा लगभग 50 किलोग्राम रखा हुआ था। मावा में गुणवत्ता /मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमुना जांच 1 किलोग्राम मावा खरीदकर उनकी कीमत 200/– रू0 विक्रेता श्री दिनेश कुमार मित्तल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम मावा को साफ सूखे व प्लास्टिक की थैली में तुलावकर चार प्लास्टिक की बोतलों मे बराबर–बराबर मात्रा मे भरकर फॉरमर्लिन की 20–20 बूंदे डालकर ढक्कन लगाकर उनको एयरटाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच–2729 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लेपट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच–2729 नियमानुसार चरो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर ,सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री दिनेश कुमार मित्तल ने भी पढकर समझकर व सही मानकार हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति श्री दिनेश कुमार मित्तल को देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नं0 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिस नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्मसं0 6 की दो प्रतियो के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की ।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एफएसएसए/2023/723 दिनांक 08.05.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/857/एक्ट/2023/974 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा अवमानक प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/857/एक्ट/2023/974 दिनांक 28.03.2023 खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति का खाद्य पदार्थ मावा का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/857/एक्ट/2023/ 974 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा अवमानक प्रकृति का होना बताया है। जबकि उक्त जांच रिपोर्ट में **B.R.Reading of extractes fat at 40.0 C.** जांच रिपोर्ट के अनुसार 40.0 से 44.0 के मध्य होना चाहिए जो कि 44.3 होना पाया गया है। जबकि उक्त फैट अधिक समय पर खाद्य पदार्थ रखे रहने पर तथा गलत तापमान में रखे रहने पर ही संभव है। आवेदक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ को कोल्ड मशीनों मे रखने के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया है। खाद्य पदार्थ मावा को गलत तापमान में रखने से उक्त अन्तर आया है। जिसको जिम्मेदार स्वयं आवेदक है, साथ ही अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने उक्त कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियोजन अधिकारी की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/857/एक्ट/2023/ 974 दिनांक 28.03.2023 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा अवमानक प्रकृति का पाया गया है। यदि अभियुक्तगण उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 10,000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी